

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1046/14

संस्थित दिनांक 10.11.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

विरुद्ध

प्रकाश पिता प्रेमलाल सोनवानी, उम्र 40 वर्ष

निवासी मोहगांव थाना मलाजखण्ड

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

—::दिनांक **07.09.2016** को घोषित::—

- 1-उक्त नामांकित अभियुक्त प्रकाश सोनवानी पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 10.08.2014 को समय शाम के 07:30 बजे स्थान कुरेण्डा तिराहा परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोक मार्ग पर मोटरसाइकिल क0 सी.जी.07—जेड.ई.—7949 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत चरनलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उपहति कारित कर उक्त दिनांक को उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस, बीमा व रजिस्ट्रेशन के चलाया जो कि भारतीय दण्ड संहिता (एतस्मिन् पश्चात् भा0दं0स0) की धारा 279, 337 एवं मो0यान0 अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 39/192 के तहत दण्डनीय अपराध है।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चरनलाल ने दिनांक 10.08.2014 को शाम 07:30 बजे उपस्थित थाना आकर प्रकाश सोनवानी पिता प्रेमलाल जाति लोहार उम्र 46 वर्ष साकिन मोहगांव के विरुद्ध मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07—जेड.ई. 7949 सुजुकी से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर एक्सीडेंट कर दिया है। की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना एफ.आई.आर., एम.एल.सी., कथन गवा, मौकानक्शा दटनास्थल, गिरफ्तारी पंचनामा, जप्ती पत्रक आदि से आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मो0यान0 अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 39/192 के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 07.09.16 को फरियादी/आहत चरनलाल द्वारा आरोपी प्रकाश सोनवानी से राजीनामा कर लिये जाने के कारण आरोपी प्रकाश सोनवानी को भा0दं0सं0 की धारा 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 एवं मो0यान0 अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 के संबंध में फरियादी की साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट न होने से आरोपी का अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा0फौ0 अंकित नहीं किया जा सका है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-
 1. क्या आरोपी प्रकाश सोनवानी ने दिनांक 10.08.2014 को शाम के 07:30 बजे स्थान कुरेण्डा तिराहा परसवाड़ा अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07-जेड.ई. 7949 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप आरोपी ने उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?

—:सकारण निष्कर्ष:—
5. फरियादी/आहत चरनलाल अ0सा0 1 का साक्ष्य है कि आरोपी को जानता है। घटना उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से लगभग दो से तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2014 को शाम 04:30 बजे की है जब वह अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम कोसमी अपने घर जा रहा था। तभी परसवाड़ा थाने के सामने एक मोटरसाइकिल चालक सामने से आया और उसे टक्कर मार दिया था मोटरसाइकिल चालक को नहीं देखा था और मोटरसाइकिल का नंबर क्या था वह नहीं देखा था। फिर वह वह घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में लिखवाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट के बाद पुलिस वाले उसे अस्पताल ले गए थे नक्शा मौका प्र0पी0 2 में दर्शाया गया स्थल घटना स्थल है जिसके के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. फरियादी/आहत चरनलाल अ0सा0 1 अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी का अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उसने इस बाद से इंकार किया है कि प्रकाश सोनवानी ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए टक्कर मारा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को मोटरसाइकिल का नंबर सी.जी.07 जेड.ई. 7949 बताया था। साक्षी द्व

11. यह भी व्यक्त किया गया है कि यदि उसके प्र0सू0रि0 प्र0पी0 01 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 03 में उक्त बाद लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता कि पुलिस ने कैसे लिख लिया है। इस प्रकार फरियादी/आहत चरनलाल अ0सा0 01 का प्रतिपरीक्षण अभियोजन द्वारा किये जाने के बावजूद उसकी साक्ष्य में ऐसी तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी घटना दिनांक को घटना के समय उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक मोटर साइकिल वाहन चला रहा था। अभियुक्त द्वारा बिना लाईसेंस, बीमा तथा रजिस्ट्रेशन के वाहन चालन के संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जहां फरियादी/आहत चरनलाल एवं आरोपी प्रकाश सोनवानी के मध्य राजीनामा होने के कारण उसे भा0दं0सं0 की धारा 337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। वही अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी प्रकाश सोनवानी ने घटना दिनांक 10.08.2014 को समय शाम के 07:30 बजे स्थान कुरेण्डा तिराहा परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोक मार्ग पर मोटरसाइकिल क0 सी.जी.07-जेड.ई. -7949 को बगैर रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा लायसेंस के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। अतः आरोपी प्रकाश सोनवानी को भा0दं0सं0 की धारा 279 तथा मो0यान0 अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपी से भी दोषमुक्त किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत मुचलके द0प्र0सं0 437 के आलोक में विहित समयावधि 6 माह उपरांत भारमुक्त होगी और उक्त अवधि पश्चात् जमानदार भी उन्मोचित होगा।
9. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07 जेड.ई. 7949 सुजुकी चेचिस नम्बर 7310 एफ 379533 इंजन नम्बर 7310 एम. 411615 उसके पंजीकृत स्वामी को विधिवत वापिस की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
10. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

दिनांक -07.09.2016

स्थान - बैहर (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट म.प्र.

बैहर, बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)